घर के काम नहीं करती, मेरा और परिवार का अनादर करती है पत्नी; HC ने तलाक अर्जी पर क्या कहा

नई दिल्ली. बीमार पत्नी से जबरदस्ती घर के काम करवाना क्रूरता है। तलाक के एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई पत्नी अपनी मर्जी से घर के काम करती है तो वह ऐसा अपने परिवार के प्रति प्यार और ममता की वजह से करती है। जब पत्नी की तबीयत खराब है तब उसे घर के काम करने के लिए मजबूर करना क्रूरता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने तलाक के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हमारी राय में, जब एक पत्नी अपनी मर्जी से घर के काम करती है, तो वह अपने परिवार के प्रति स्नेह और ममता के कारण ऐसा करती है। यदि उसका स्वास्थ्य या अन्य परिस्थितियों की वजह से वह काम नहीं कर पाती, तो उसे जबरदस्ती काम करने के लिए कहना निश्चित रूप से क्रूरता है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया की महिला के पति ने किसी तरह की क्रूरता नहीं की थी क्योंकि वह पत्नी को घर के काम करने के लिए मजबूर नहीं करता था। इसके बजाय उसने यह सुनिश्चित किया कि घरेलू काम के लिए एक सहायिका मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने कहा, दूसरी तरफ मामले के तथ्यों से पता चलता है कि महिला गलत थी। उसने न केवल अपने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बेतुके आरोप लगाए बल्कि उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें भी कीं। कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें तलाक दे दिया।

नोएडा में मदरसे के लिए चंदा मांग रहे मुस्लिम शख्स को बुरी तरह पीट डाला, आपत्तिजनक टिप्पणी भी की; तनाव

सलारपुर गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धार्मिकस्थल के लिए चंदा मांगने आए युवक को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित को आरोपी के चंगुल से बचाया। पुलिस ने गिरफ्तार किया।

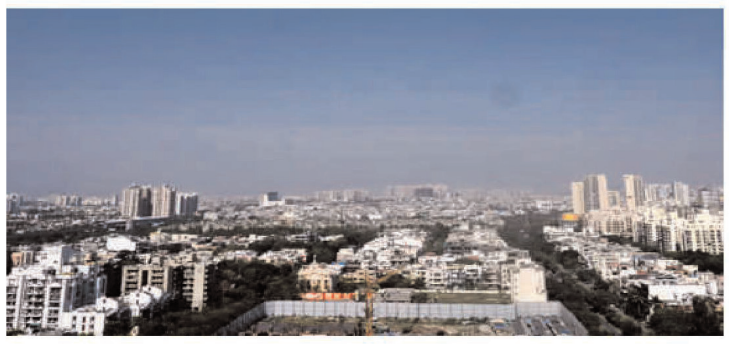

नोएडा. सलारपुर गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धार्मिकस्थल के लिए चंदा मांगने आए युवक को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित को आरोपी के चंगुल से बचाया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले 30 वर्षीय अब्दुल अजीज कुछ समय पहले नोएडा आए थे। वह बिहार में खुले मदरसों के लिए संचालन के लिए चंदा जुटाने का काम करते हैं। इसी के लिए वह मंगलवार दोपहर सलारपुर गांव स्थित धार्मिकस्थल में पहुंचे। धार्मिकस्थल से निकलकर जब अब्दुल कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गांव के ही नीरज भाटी ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी।

आरोप है कि विरोध करने पर नीरज ने अब्दुल अजीज पर आपत्तिजनक करते हुए दाढ़ी पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इस दौरान अब्दुल अजीज की टोपी सड़क पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह पीड़ित को आरोपी के चंगुल से बचाया और घटना की जानकारी सेक्टर-39 पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंच गए। हालांकि, पुलिस ने दाढ़ी पकड़ने की बात से इनकार किया है। मामला दो समुदाय का होने के चलते सूचना गांव में आग की तरफ फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। सोशल मीडिया पर भी यूजर ने कमिश्नरेट पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

डीसीपी विद्या सागर मिश्र, एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र और एसीपी प्रवीण कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी पीड़ित पक्ष को करीब एक घंटे तक समझाते रहे। आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद पीड़ित पक्ष के लोग घटनास्थल से हटे। पुलिस ने घायल अब्दुल अजीज को मेडिकल के लिए भेज दिया। साथ ही, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नोएडा जोन विद्या सागर मिश्र ने कहा कि धार्मिकस्थल के लिए चंदा मांग रहे युवक के साथ गांव के ही व्यक्ति ने मारपीट और आपत्तिजनक टिप्पणी की।

अनोखे चोर! दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल टावर से करते थे चोरी, डेढ़ करोड़ के डिवाइस बरामद

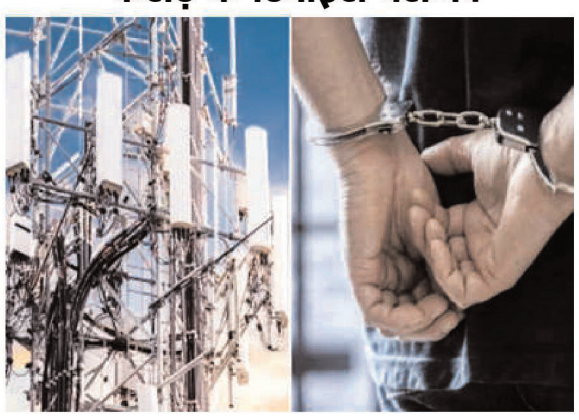

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावर में लगने वाले रिमोट रेडियो यूनिट (आरआरयू) और अन्य उपकरणों की चोरी व खरीद-फरोख्त में लिप्त दो गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो सरगना समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 33 आरआरयू, 20 बीबीयू और अन्य उपकरण समेत बड़ी संख्या में चोरी का सामान बरामद हुआ है। उपकरणों की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है।

पुलिस की मानें तो आरोपियों की गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में गैंग के पकड़े जाने से आरआरयू चोरी के 63 मामले सुलझे हैं। आरोपियों में दिल्ली के रोहिणी निवासी नाजिम, सागरपुर निवासी सनी राजपूत, मुस्तफाबाद निवासी मो. नईम, इब्राहिमपुर निवासी मोरपाल, अमन विहार निवासी महेंद्र, समयपुर बादली निवासी इरफान, पुराना मुस्तफाबाद निवासी इजहार, पुनीत कुमार उर्फ बॉम्बे, परवीन राणा उर्फ सोनू ठाकुर, सुमित राणा और सलमान, यूपी के मेरठ निवासी सलमान, दानिश, कासिम और यूपी के बुढाना निवासी नदीम शामिल हैं।

आरोपियों की गिरफ्तारी से कुल 33 आरआरयू (रेडियो रिमोट यूनिट जो एक महंगा उपकरण है), 20 बीबीयू, 15 जेआईओ बैटरी, दो आरएसपी कार्ड, 12 हाई-टेक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टूल और 20 बंडल टावर केबल बरामद हुए। इसके अलावा 17 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।

ऐसे शुरू हुई कार्रवाई

क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर संजय भाटिया ने बताया कि एयरटेल के राष्ट्रीय नोडल अधिकारी ने देश के विभिन्न इलाकों में मोबाइल टावर में लगे उपकरणों के बड़े पैमाने पर चोरी होने की रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया गया कि आरआरयू चोरी होने के कारण ग्राहकों को कॉल करने और इंटरनेट का उपयोग करने में परेशानी होती है। इसके बाद कई टीमों को जांच में लगाया गया।

100KM तक पीछा, मंदिर-मस्जिद से अनाउंसमेंट; UP से 7 साल के बच्चे को दिल्ली पुलिस ने कैसे किया रेस्क्यू

दिल्ली पुलिस ने 100 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा करके उसके चंगुल से सात साल के मासूम को सकुशल बरामद करके परिवार के हवाले कर दिया। बच्चे का अपहरण करने वाला पड़ोसी गिरफ्तार हो गया है।

नई दिल्ली. दिल्ली के दयालपुर थाना पुलिस ने 13 मार्च को फिरौती के लिए नेहरू नगर इलाके से अपहृत बच्चे को सकुशल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से मुक्त करा लिया है। आरोपी 46 वर्षीय वीरेश उर्फ वीरु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त जॉय टिर्की ने बताया 13 मार्च को दयालपुर थाने को सात वर्षीय बच्चे के अगवा होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने उसकी जानकारी जुटाई तो उसकी अंतिम लोकेशन बुलंदशहर जिले में गंगा किनारे मिली। वहां लोगों ने बच्चे की तस्वीर को पहचान लिया और उसकी लोकेशन राजघाट गांव के पास पता चली। संदिग्ध आरोपी अपहृत बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन के पास छिपा हुआ था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।दिल्ली पुलिस के करीब 24 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने अपहरणकर्ता का पता लगाया। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, खेतों, मंदिरों और ढाबों में डेरा डाला, स्थानीय मुखबिरों से जानकारी निकाली और घर-घर जाकर तलाशी ली। आखिरकार रविवार को बुलंदशहर और संभल रेलवे स्टेशन के बीच से आरोपी को पकड़ लिया गया। पांच दिनों तक दिल्ली पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 100 किमी तक सात साल के बच्चे और उसके अपहरणकर्ता को ढूंढती रही। आरोपी बच्चे का पड़ोसी निकला। पुलिस ने मासूम को सकुशल बरामद करके उसके माता-पिता को सौंप दिया।

निजी रंजिश के लिए अपहरण

46 साल के आरोपी वीरेश उर्फ वीरू ने परिवार के साथ पुरानी रंजिश का हिसाब चुकाने और पैसे ऐंठने के लिए 13 मार्च को मासूम का अपहरण किया था। वह लड़के को बहला-फुसलाकर संभल ले गया और उसके माता-पिता को फिरौती के लिए फोन किया। जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी, तो वीरेश ने उसे स्थानीय रेलवे स्टेशन राजगढ़ ले जाने से पहले डुबाकर मारने की कोशिश की, ताकि वह दूसरे राज्य भाग सके लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस पर फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।

सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस

बच्चे के लापता होने के कुछ घंटों के अंदर पुलिस को इसकी जानकारी मिली। जिसके बाद दयालपुर एसएचओ अतुल त्यागी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम कार्रवाई में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने और तकनीकी निगरानी के दौरान, पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली।

13 साल की बच्ची के पेट में था दर्द, अस्पताल में खुला पड़ोसी के पाप का राज

गाजियाबाद. गाजियाबाद के मुरादनगर की एक कॉलोनी में कक्षा छह की छात्रा से पड़ोसी तीन माह तक दुष्कर्म करता रहा। पेट में दर्द होने पर जब परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला वह गर्भवती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नगर की कॉलोनी में एक व्यक्ति परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी तीन माह से अपने मायके गई हुई है। उनकी 13 वर्षीय बेटी घर पर अक्सर अकेली रहती है। सोमवार सुबह अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। पहले उसे स्थानीय डॉक्टर से दवाई दिलाई गई, लेकिन जब आराम नहीं हुआ तो पिता ने बच्ची को पास के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया।

जांच करने पर पता चला कि छात्रा गर्भवती है। यह सुनकर परिजन हक्केबक्के रह गए और पिता बेहोश होकर गिर गए। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह से सभाला। जब बच्ची से इस बारे में पूछा तो पहले तो वह गुमशुम सी रही। दबाव देने पर वह जोर जोर से रोने लगी। बच्ची ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला आदिल अक्सर घर आ जाता था। वह उसके साथ गलत काम करता था। वह तीन माह से दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर वह उसके पिता को जान से मारने की धमकी देता था। बच्ची सदमे है और किसी से बात नहीं कर रही है। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर मुरादनगर थाने पहुंचे और तहरीर दी। एसीपी मंसूरी सर्किल नरेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाएंगे।

और 12 लाख गंवा दिए; क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, जिसका खूब शिकार बन रहे लोग

साइबर अपराधियों ने पार्सल में ड्रग्स और संदिग्ध दस्तावेज भेजने के नाम पर ब्लैकमेल कर महिला से 12 लाख रुपये ऐंठ लिए। आजकल डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं, आखिर यह क्या होता है?

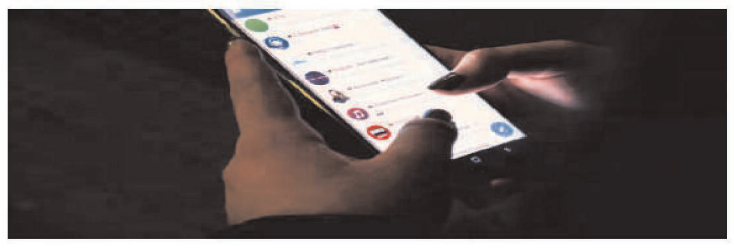

गाजियाबाद. साइबर अपराधियों ने पार्सल में ड्रग्स और संदिग्ध दस्तावेज भेजने के नाम पर ब्लैकमेल कर गाजियाबाद की एक महिला से 12 लाख रुपये ऐंठ लिए। आरोपियों ने इस दौरान खुद को मुंबई साइबर सेल से बताते हुए महिला का दाउद इब्राहिम के करीबी होने की बात भी कही। मनी लांड्रिंग के पैसों का लेनदेन बताकर जेल भेजने की धमकी दी। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अहिंसा खंड-एक के राजहंस अपार्टमेंट में रहने वाली जयिता चक्रवर्ती का कहना है कि 14 मार्च को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। कॉलर ने अपना परिचय फेडेक्स कुरियर सर्विस मुंबई का कर्मचारी के रूप में दिया। इस दौरान उसने बताया उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ की गई है और उनके नाम से कुछ प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का सैंपल मुंबई से ताइवान भेजने का प्रयास किया गया है। जयिता चक्रवर्ती का कहना है कि कॉलर ने उन्हें कुरियर और पार्सल संबंधी सभी विवरण दिया। उसने उन्हें भेजने वाले का विवरण, पैकेज नंबर बताया और कहा कि पार्सल में कपड़े, लैपटॉप, सिम कार्ड, 200 मिलीग्राम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधित ड्रग्स हैं। कॉलर ने उनका पार्सल कस्टम विभाग द्वारा रोकने की बात कहते हुए कहा कि उन्हें मुंबई साइबर क्राइम विभाग से जोड़ा जा रहा है। जयिता चक्रवर्ती का कहना है कि कॉलर ने उन्हें एक व्यक्ति के साथ जोड़ा, जिसने खुद को मुंबई साइबर क्राइम से बताया।

उसने उन्हें स्काइप वीडियो कॉल पर लिया और जांच के नाम पर उन्हें दो घंटे तक कैमरे के सामने बैठाए रखा। इसके बाद उन्हें यह कहकर सीआईडी का नोटिस भेजा गया कि उनके आधार कार्ड पर खुले खातों का इस्तेमाल मोहम्मद आतिफ इस्लाम के खाते के साथ मनी लॉड्रिंग में किया जा रहा है।

उन्हें बताया गया कि मोहम्मद आतिफ इस्लाम वर्तमान में जेल में बंद है और वह दाउद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है।

एल्विश यादव पर और कसेगा शिकंजा, नोएडा पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार; हो सकता है बड़ा खुलासा

एल्विश यादव के सांपों के जहर वाले केस में नोएडा पुलिस ने मंगलवार देर रात देर रात दो लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम विनय और ईश्वर हैं। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं।

नोएडा. नोएडा पुलिस ने मंगलवार देर रात एल्विश यादव से जुड़े मामले में दो लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम विनय और ईश्वर हैं। दोनों से सेक्टर-20 थाना परिसर समेत अन्य ठिकानों पर पूछताछ गई। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच तेज हो गयी है। ईश्वर और विनय दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। दरअसल, एल्विश की सीडीआर में इन दोनों की बार-बार संलिप्तता पाई गई। हालांकि फिलहाल ईश्वर की इस केस में किस तरह से संलिप्तता है इसका पता नहीं चला है। इन दोनों की गिरफ्तारी से माना जा रहा है कि सांपों के जहर वाले केस में बड़ा खुलासा हो सकता है।

सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने की तैयारी

नोएडा पुलिस अब एल्विश यादव की सोशल मीडिया कुंडली (फेसबुक, इंस्टाग्राम , एक्स, यूट्यूब) भी खंगाल रही है। सोशल मीडिया पर एल्विश के खिलाफ मिलने वाले साक्ष्यों का पुलिस संकलन करेगी और उसे केस डायरी में शामिल कर न्यायालय में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। एल्विश की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया की कुंडली सिंगर फाजिलपुरिया समेत कई अन्य की मुश्किलें बढ़ाने वाली है।

एल्विश के सहयोगियों पर भी शिकंजा कसेगा

एल्विश यादव के बाद उसके सहयोगियों पर भी शिकंजा कस सकता है। जांच में जिन भी लोगों के नाम सामने आएंगे, उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ एनडीपीएस ऐक्ट की धाराओं में आरोपी बनाया जाएगा। सांपों के साथ एल्विश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था। वीडियो गायक फाजिलपुरिया की शूटिंग साइट का था। वीडियो में सांप के साथ एल्विश, कटारिया व फाजिलपुरिया नाम के युवक दिख रहे हैं। अब एल्विश के अलावा और कौन से उसके सहयोगी सांप व उनके जहर को पार्टियों में मंगवाते थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। इस मामले में पुलिस दो माह पूर्व मोहाली में दर्ज हुए केस को भी खंगाल रही है। पुलिस केस में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है।

पार्टी से संबंधित कई ग्रुप में जुड़े होने का शक

पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि पार्टियों से संबंधित कई ग्रुप से एल्विश जुड़ा है। ये ग्रुप किस तरह से संचालित किए जा रहे थे या इनका हैंडलर कौन है, इसकी जानकारी भी ली जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य राहुल के पास से बरामद, वो रजिस्टर है, जिसमें उसने 60 पार्टियों का जिक्र किया था।

उसने पुलिस को बताया था कि पार्टियां फरीदाबाद और गुरुग्राम में आयोजित की जाती थी। इन ग्रुप का पार्टियों के आर्गनाइजर से संबंध निकलता है तो बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। पुलिस इन साक्ष्यों को ही रिकवर करेगी। इसके लिए नोएडा पुलिस ने आईटी की एक पूरी टीम लगा दी है।

मेदांता के निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान हुए डीपफेक वीडियो के शिकार, केस दर्ज

इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज होने के बाद जिस फेसबुक लिंक से नरेश त्रेहान का यह डीपफेक वीडियो शेयर किया गया था उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच फिलहाल जारी है।

गुड़गांव. प्रतिष्ठित मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान का डीपफेक वीडियो बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस संबंध में मेदांता अस्पताल की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। मेदांता अस्पताल की तरफ से मंगलवार को दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि एक डीपफेक वीडियो में अस्पताल के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहान को वजन घटाने वाली दवा का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। डीसीपी (साइबर क्राइम) सिद्धांत जैन ने कहा कि इस मामले में साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 के तहत कसे दर्ज किया गया है।

अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज होने के बाद जिस फेसबुक लिंक से नरेश त्रेहान का यह डीपफेक वीडियो शेयर किया गया था उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इस डीपफेक वीडियो में ऑडियो, वीडियो और तस्वीर जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है।

35 सेकेंड का है डीपफेक वीडियो

मेदांता हेल्थ केयर के असिस्टेंट वाइस-प्रेसिडेंट (मार्केटिंग)की तरफ से दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय था। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो शेयर किया जा रहा है जो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में गलत जानकारियां देता है।

इस डीपफेक वीडियो में हमारे सीएमडी नरेश त्रेहान नजर आ रहे हैं जो इस उपचार के संबंध में प्रचार कर रहे हैं। इससे अस्पताल और डॉ त्रेहान की छवि खराब हो रही है।

शिकायत में कहा गया है, '35 सेकेंड के इस क्लिप में गलत दावा कर लोगों के बीच कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए तुरंत ऐक्शन लिया जाए और ऐसा करने वालों को न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाए।

पुलिस ने जांच के लिए बनाई टीम

डॉक्टर त्रेहान को लेकर बनाए गए इस डीपफेक वीडियो के बारे में डीसीपी ने कहा, 'शुरुआती जांच में यह पता चल रहा है कि इस वीडियो में डॉक्टर और एक न्यूज एंकर की फर्जी वॉयस रिकॉर्डिंग

दिखाई गई है। डीपफेक वीडियो में जो दिखाया गया है उसे दवा लेने की सलाह डॉक्टर नहीं देते हैं। हम जांच के बाद ही कह पाएंगे कि किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल इस वीडियो को बनाने में किया गया है। हमने केस रजिस्टर किया है और मामले की जांच शुरू कर दी ह। आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। हमें कुछ लीड भी मिली है।